

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आदेश संख्या:- 3/अ0प्र0-1-346/2013 2554 /पटना, दिनांक :- 29-11-23

श्री अरविन्द कुमार सिंह, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान के विरुद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-1777 दिनांक-29.08.2013 द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में निगरानी थाना कांड संख्या 050/2013 दिनांक 22.08.2013 दर्ज किये जाने की सूचना एवं अन्य संबंधित कागजात विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त उक्त कागजातों के समीक्षोपरान्त श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना सं0-597-सह-पठित ज्ञापांक-598 दिनांक-18.02.2014 द्वारा निलंबित किया गया। साथ ही श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-988 अनु0 दिनांक 24.03.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान ही श्री अरविन्द कुमार सिंह, तदेन अधीक्षण अभियंता के दिनांक 31.05.2015 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प संख्या 2480 दिनांक 26.06.2015 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत सम्पूरित कर दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी (श्री दीपक कुमार सिंह, तदेन प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-जाँच आयुक्त, बिहार, पटना) के पत्रांक-1884 अनु0 दिनांक 28.03.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन का मुख्य निष्कर्ष निम्नवत् है :-

“इस प्रकार श्री अरविन्द कुमार सिंह के उपर लगाये गये आरोप उसके साथ दिया गया साक्ष्य, आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिये गये बचाव बयान, विभागीय मन्तव्य, इस काण्ड से जुड़े निगरानी के पदाधिकारियों की गवाही के सम्यक विचारोपरान्त इनके उपर आरोप संख्या-1 प्रमाणित नहीं होता है। आरोप संख्या-2 एवं आरोप संख्या-3 वस्तुतः एक तथ्यात्मक कथन है।”

5. जाँच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करते हुए विभागीय पत्रांक 1238 अनु0 दिनांक 01.07.2020 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गई।

6. श्री सिंह के पत्रांक-शून्य दिनांक-02.09.2020 द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान के आलोक में समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय अधिसूचना सं0-2394 दिनांक-09.11.2023 द्वारा श्री अरविन्द कुमार सिंह, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत्त को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त कर दिया गया है।

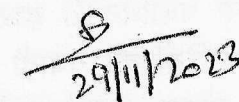
7. श्री सिंह सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता के पत्रांक शून्य दिनांक-13.11.2023 द्वारा निलंबन अवधि के विनियमन हेतु आवेदन विभाग को समर्पित किया गया। तदालोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता दिनांक-18.02.2014 से दिनांक-31.05.2015 तक निलंबित रहे एवं जिन आरोपों पर श्री सिंह को निलंबित किया गया था, उनक आरोपों के संबंध में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता को आरोप मुक्त किया गया है।

8. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 11 (3) एवं (4) के तहत श्री अरविन्द कुमार सिंह, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान के निलंबन अवधि को निम्न प्रकार से विनियमित किया जाता है :-

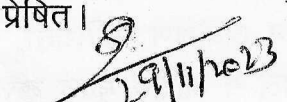
- (i) निलंबन अवधि दिनांक-18.02.2014 से दिनांक-31.05.2015 तक अनुमान्य पूरे वेतन एवं भत्ते का भुगतान देय होगा, परन्तु ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन-निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जाएगा।
- (ii) आलेख्य निलंबन अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।


(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-346/2013 2554 दिनांक :- 29-11-23
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/ कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


29/11/2023
विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-346/2013 2554 दिनांक :- 29-11-23
प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/जिला पदाधिकारी, सिवान/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिवान/प्रशाखा पदाधिकारी-6/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री अरविन्द कुमार सिंह, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार पता- तिलकनगर, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


29/11/2023
विशेष सचिव